वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 261/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-23.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 23.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01.थाना – अहरौला: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 21.07.2025 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जिला आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.07.2025 को समय करीब 11:00 बजे विपक्षी करिया निषाद पुत्र ठाकुरदीन व रिंकू पुत्र रामसनोर द्वारा नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर कही भगा ले गये है, के सम्बन्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 285/2025 धारा 64/137(2) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 कुलदीप सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 23.07.2025 को थाना प्रभारी कुलदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त करिया निषाद पुत्र ठाकुरदीन निवासी ग्राम शम्भूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को सीरपट्टी पुलिया के पास से समय करीब 11.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- करिया निषाद पुत्र ठाकुरदीन निवासी ग्राम शम्भूपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0सं0 285/2025 धारा 64/137(2) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- थाना प्रभारी/व0उ0नि0 कुलदीप सिंह मय हमराह का0 उमेश कुमार गौड़ , का0 शशिभूषण व म0का0 अनामिका कुशवाहा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

02.थाना बिलरियागंजः घर से मोबाइल व जेवरात चोरी करने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना-

दिनांक 29.05.25 को आवेदकगण हरिशचन्द प्रजापति पुत्र लग्गन प्रजापति व परमेश पुत्र सुरेश प्रजापति निवासीगण विलरियागंज देहात (हसनपुर की वाग) थाना विलरियागंज आजमगढ़ थाना पर उपस्थित होकर प्रा0पत्र दिये कि दिनांक 27.05.2025 को रात्रि मे परिवार के लोगो को सो जाने के बाद रात मे ही अज्ञात व्यक्ति द्वारा छत के रास्ते से हमारे घर के भीतर घूसकर आलमारी का ताला खोलकर उसमे रखा एक चैन, 3 अगूँठी, व 1 बाली, व 3 नाँक की किल व 1 लाकेट व 1 मो0 स्मार्ट फोन लावा जिसका न0 7068324497व 6000/ रु0 नकद रखा रुपया सामान सहित उठा ले गये। व पडोस मे हरिश्चन्द्र प्रजापति के घर से 1 मोबाईल VIVOकम्पनी तथा रखा पैसा 12000/ रूपया उठा ले गये। सुबह भोर मे जानकारी होने के बाद हम लोगो काफी खोजबीन किया पर पता नही चल सका के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 167/2025 धारा 305/331(4) बी.एन.एस. पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा को सुपुर्द की गयी।

पुलिस अभिरक्षा का विवरणः-

दिनांकृ- 23.07.2025 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त विवेचना से प्रकाश में आये एक बाल अपचारी को चोरी गये 01 मोबाइल व 2000 रूपयें नकद के साथ रामपुर नहर से बघैला ग्राउण्ड से समय करीब 12:15 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 167/2025 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़

बरामदगी ---

1- एक अदद मोबाईल फोन लावा
2- नगद 2000/ रुपये

03. थाना तहबरपुरः आवेदक को साइबर फ्राड का 49,600/ रूपये वापस कराया गया।

पूर्व की घटनाः-

आवेदक मुकेश पाल पुत्र रूदल पाल साकिन जमालपुर काजी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 21.02.2025 अपने खाता संख्या 924XXXXXXXXXXX जो माँ जीबदानी रोड लाइंस के नाम पर है, से 49600 रूपये एक्सेस निलो मोबाइल एप से किसी अन्य खाते में पैसा ट्रान्सफर हो गया। आवेदक द्वारा साइबर कंप्लेन एकनालेजमेन्ट नं0 33102XXXXXदर्ज किया गया था जिससे आवेदक का 49600 रूपये होल्ड हो गये थे।

रूपया वापसी का विवरणः—

आवेदक मुकेश पाल पुत्र रूदल पाल साकिन जमालपुर काजी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के साइबर कम्प्लेन की जाँच की गयी ज्ञात हुआ कि आवेदक द्वारा दिनांक 21.02.2025 अपने खाता संख्या 9240200XXXXXX जो माँ जीबदानी रोड लाइंस के नाम पर दर्ज है, से 49600 रूपये दिनांक 21.02.2025 को खाता संख्या 02832021XXXXX के खाते में भेजना था लेकिन गलती से किसी अन्य के खाता संख्या 334001001XXXXXXX में 49600 रूपये पैसा ट्रान्सफर हो गया। जाँच करने पर ज्ञात हुआ की उपरोक्त खाता संख्या के खाता धारक का नाम मोहम्मद शफी पुत्र मोहम्मद हनीफ पता SRN 86/1 हनुमान मंदिर नियर बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति समोर, धानिवबाग नालासोपारा इस्ट, धवीण पालघर ईस्ट, महाराष्ट्र पिन नं0 401208 है। जिसके खाते में 49600 रूपये होल्ड थे। पैसे को रिलीज करने के लिये मा0 न्यायालय आजमगढ़ से कोर्ट आर्डर बनवाया गया। कोर्ट आर्डर को सम्बन्धित बैंक को मेल कर आवेदक के 49,600 रूपये रिलीज कराया गया।

साइबर पुलिस टीमः-

प्रभारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
उ0नि0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
कम्प्यूटर आपरेटर वीरेन्द्र कुमार सरोज थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
का0 अमित कुमार सिंह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

साइबर फ्राड का
49600 रूपये वापस
कराया गया।

04.थाना- जीयनपुर: गैर-इरादत्तन हत्या में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 04 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

दिनांक 22.07.2025 को आवेदिका माया पत्नी अजय निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने थाना जीयनपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 21/7/25 को समय करीब 7 बजे पुरानी रंजीश को लेकर गांव के 1.शैलेश पुत्र रामवृक्ष 2.देवआशीष पुत्र राजेश 3.आशीष पुत्र हरिश्चन्द्र 4.राजेश पुत्र रामवृक्ष 5.साधू उर्फ सैलेन्द्र पुत्र रामवृक्ष 6.चन्द्रेश पुत्र बलकरन 7. राजू पुत्र बलकरन 8.सुरेन्द्र पुत्र जयकरन 9.डब्लू पुत्र जयकरन 10. सुनैना पत्नी सुरेन्द्र 11 विजेन्द्र पुत्र चैतू निवासीगण हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हमारे देवर सन्दीप व देवरान मन्जू को लाठी डण्डा से मार पीट रहे थे देवर सन्दीप व देवरान मन्जू की चिल्लाने की आवाज पर मेरे पति अजय बचाने के लिए घटना स्थल पर पहुचे उपरोक्त सभी लोग एक राय होकर मेरे पति को बुरी तरह से लाठी डण्डा से मारने पिटने लगे मेरे पति अजय व सन्दीप व मन्जू के चिल्लाने की आवाज पर मै मेरा वेटा समीर व अन्य लोग मौके पर पहुचे बचाने की कोशिश किये उपरोक्त मुज्जीमान देवर संदीप व मेरे पति अजय को मरा समझ कर छोडकर भाग गये मै आस पास के लोगो की मदद से P.H.C हरैया ले गयी जहा पर डा0 द्वारा हालत गम्भीर देखकर जिला अस्पताल आजमगढ रेफर कर दिया। आजमगढ सदर पहुचते ही मेरे पति अजय रास्ते मे ही दम तोड दिये तथा देवर सन्दीप व देवरान मन्जू की हालत गम्भीर बनी हुई है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 288/2025 धारा 3(5)/115(2)/105 BNS बनाम 1.शैलेश पुत्र रामवृक्ष निवासीगण हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ आदि 11 नफर के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दिनांक 22.07.2025 को उ0नि0 अजय यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.चन्द्रशेखर उर्फ चन्द्रेश पुत्र बलकरन 2. सुरेन्द्र पुत्र जयकरन 3. सुनैना पत्नी सुरेन्द्र निवासीगण हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को मनिकाडीह चौराहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 23.07.2025 को उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रजादेपुर मोड थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ से समय 11:10 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-आशीष कुमार पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 288/2025 धारा 3(5)/115(2)/105 BNSथाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 गोपाल प्रसाद मौर्या थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 राजीव कुमार मिश्रा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

05. थाना रौनापारः साइबर फ्राड का 15,000/- रूपया वापस कराया गया।

पूर्व की घटना-

आवेदक तुफानी पुत्र स्व0 सकलदेव निवासी गांगेपुर मठिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के साथ दिनांक 05.11.2025 को फोन आया कि मेरा लड़का अस्पताल मे भर्ती है और 15000/- रुपये भेज दो , प्रार्थी को लगा की उसका मालिक फोन किया है यह जानकर प्रार्थी द्वारा दिये गये खाता संख्या पर पैसा भेज दिया। जब अवेदक को लगा की वह साइबर फ्राड का शिकार हो गया है तो आवेदक द्वारा साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 पर दिनांक 06.11.2025 को शिकायत नं0 33111240140066 दर्ज कराया गया।

बरामदगी का विवरणः-

आवेदक श्री तुफानी पुत्र सकलदेव निवासी गांगेपुर मठिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा साइबर हेल्पलाईन नम्बर 1930 पर शिकायत संख्या 331112XXXXXX दर्ज कराया गया कि उनके साथ कुल 15000/- रुपये का साइबर फ्राड हुआ है। उक्त शिकायती प्रार्थना पर थाना रौनापार के साइबर टीम के का0मु0 रत्नेश सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के 15,000/- रुपये को कोटक महिन्द्रा बैंक मे होल्ड कराया गया। पैसा होल्ड होने के उपरान्त विधि कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय से अनुरोध कर उक्त पैसे को वापस करने के सम्बन्ध मे आदेश प्राप्त किया गया। बाद प्राप्त होने आदेश कोटक महिन्द्रा बैंक से सम्पर्क कर आवेदक का 15,000/- रुपये आवेदक के खाते मे वापस कराया गया।

06. थाना मुबारकपुरः हत्या का प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना–

दिनांक 22.07.2025 को वादी मुकदमा शमसुलहक पुत्र स्व हाजी नेयाज अहमद मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.07.2025 को शाम लगभग 06.30 बजे वादी मुकदमा का पुत्र रेयान अपने पुराने घर जा रहा था कि रास्ते मे पुरानी रंजिस की बात को लेकर शरीफ अहमद पुत्र स्व0 फिदा हुशैन व शालेहीन पुत्र शरीफ अहमद निवासी मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पुत्र को भद्दी भद्दी गाली देते हुए धार दार हथियार से मारना पीटने जिससे वादी के पुत्र को बाहं, सिर वह पीठ में बहुत गम्भीर चोटे आने के सम्बन्ध मे थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 323/2025 धारा 352/109 बीएनएस बनाम 1. शरीफ अहमद पुत्र स्व0 फिदा हुशैन 2. शालेहीन पुत्र शरीफ अहमद निवासी मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्रा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 22.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर जनपद आजमगढ शशि मौलि पाण्डेय के निर्देशन मे उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शरीफ अहमद पुत्र स्व0 फिदा हुसैन निवासी मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को शाह के पंजा के पास से समय 23.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- शरीफ अहमद पुत्र स्व0 फिदा हुसैन निवासी मोहल्ला हैदराबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 55 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 323/2025 धारा 352/109 BNS थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह हे0का0 भानू पाण्डेय व का0 सत्यम सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

07. थाना- कोतवालीः कूटरचित दस्तावेज के साथ धोखाधड़ी के अपराध में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अबतक कुल 03 अभियुक्त हो चुके है गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादी जीजुर्हमान उर्फ बाबू पुत्र स्व अकील अहमद साकिन बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ कि लिखित सूचना पर कि हल्ला बदरका मौजा कोडर अजमतपुर में स्थित गाटा संख्या 98 में मुझ प्रार्थी की बुआ स्वर्गीय नूरसबा पत्नी स्व अब्दुल रहमान निवासी बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने अपना पूरा हिस्सा पैतीस कड़ी जमीन व मकान जरिये रजिस्टर्ड वसीयत 03/07/2019 को दिया तथा मेरी बुआ का निधन दिनाक 13/07/2022 को हो गया। प्रार्थी अपने हिस्से पर अपनी बुआ के जीवन काल से ही काबिज है तथा परिवार के साथ निवास करता चला आ रहा है। अपने जीवन काल में मेरी बुआ भी मेरे ही साथ रहती थीं, जिनकी बृद्धावस्था में सेवा व इलाज मेरे व मेरे परिवार द्वारा किया गया। उक्त सम्पति के बंटवारे का मुकदमा नंबर 1454/2022 अजीजुर्हमान बनाम इरफान माननीय न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड शहर तथा न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ में वाद संख्या D-200181506XXXXX मकान में नामान्तरण के सम्बन्ध में दाखिल व प्रचलित है। ताजा वाकया यह है कि मेरे बुआ के देवर इरफान खान पुत्र स्व सलीम खान अपने पुत्र शाहिद खान पुत्र इरफान खान व बहू रुबीना खानम पत्नी मो शाहिद खान निवासी गण बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ एकराय होकर, मिलकर, नगर पालिका, परिषद से NOC प्राप्त किये बिना ही खतौनी और मूल बैनामें को छुपाकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर माननीय न्यायालय में चल रहे वाद को छुपाते हुए अपने हिस्से से अधिक की चौहद्दी दिखाकर, आबादी बताकर 70 कड़ी साजिशन अपनी बहू रुबीना खानम को हिब्बानामा कर दिया जबकि मौके पर इरफान खान का हिस्सा 35 कड़ी ही है तथा उक्त भूमि का खसरा खतौनी व दीगर अभिलेख मौजूद हैं और उक्त भूमि मिलजुमला खाते की जमीन है। इसी साजिश के तहत अपने बेटे शाहिद खान को हिब्बानामा का गवाह बना दिया है। इरफाना खान, शाहिद, रुबीना खानम द्वारा एकराय होकर किया गया यह कार्य गम्भीर अपराध की श्रेणी का है जिससे मुझ प्रार्थी की हकतलफी हो रही है। उक्त के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-220/25 धारा-61(2)/318(4)/338/336(3) BNS दिनांक 12.5.2025 को पंजीकृत किया गया।

दिनांक- 11.07.2025 को उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता रुबीना खानम पत्नी मो0 शाहिद खान व अभियुक्त मो0 शाहिद खान पुत्र इरफान खान निवासीगण मुहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 23.07.2025 को उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित मकसूद पुत्र मोहीद साकिन कुर्थीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता अभियुक्त इरफान खान का मकान मुहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष को समय 12.15 बजे पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0- 220/25 धारा-61(2)/318(4)/338/336(3) BNS थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-मकसूद पुत्र मोहीद साकिन कुर्थीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ हाल पता अभियुक्त इरफान खान का मकान मुहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय , म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, थाना कोतवाली आजमगढ़

08.थाना- रानी की सरायः दहेज हत्या में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 23.07.2025 को वादी श्री रंजीत पुत्र राधे, साकिन- विशुनपुर, थाना-रानी की सराय,जनपद- आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि वादी की लडकी अजली को उसके पति व ससुरालीजनो द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए दहेज की मांग करने व दिनाँक 22.07.2025 को फासी लगा कर जान से मार देने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/25 धारा 85,80(2) व ¾ डीपी एक्ट बनाम 1. पति रंजीत पुत्र राधे , 2-ससुर राधे पुत्र दलसिंगार ,3-सास चनौती उर्फ चन्द्रावती पत्नी राधे 4- ननद बीनू ,5-खुश्बू पुत्रीगण राधे निवासी गण विशुनपुर कोलापट्टी थाना रानी की सराय आजमगढ पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण रंजीत व राधे व अभियुक्ता चनौती उर्फ चन्द्रावती को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 23.07.2025 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. पति रंजीत पुत्र राधे , 2-ससुर राधे पुत्र दलसिंगार ,3-सास चनौती उर्फ चन्द्रावती पत्नी राधे निवासी गण विशुनपुर कोलापट्टी थाना रानी की सराय आजमगढ को अभियुक्तों के घर से समय करीब 12.05 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 226/25 धारा 85,80(2) व ¾ डीपी एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. पति रंजीत पुत्र राधे ,
2. ससुर राधे पुत्र दलसिंगार ,
3. सास चनौती उर्फ चन्द्रावती पत्नी राधे निवासी गण विशुनपुर कोलापट्टी थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

(2)उ0नि0 अमिताबाचन्द मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.07.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में **02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना निजामाबादः गैंगेस्टर एक्ट में 01 आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड।

➡ दिनांक- 27.12.2023 को वादी मुकदमा श्री सच्चिदानन्द यादव थानाध्यक्ष निजामाबाद जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त **हारिश उर्फ छोटू उर्फ अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल अजीज निवासी इसरौली थाना सरायमीर हालपता मुड़ियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़** द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु **अपराध कारित करना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 562/2023 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ **मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है।**

➡जिसके क्रम में दिनांक-23.07.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशे न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **हारिश उर्फ छोटू उर्फ अब्दुल्ला पुत्र अब्दुल अजीज निवासी इसरौली थाना सरायमीर हालपता मुड़ियार थान फूलपुर जनपद आजमगढ़ को 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किय गया।